

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक मई, 2016

विषय:- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कथैया थाना (ग्रेड-3) भवन एवं 4 यू0एस0, 6 एल0एस0 आवास के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्रकलित राशि ₹ 394.283 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख अठाईस हजार तीन सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं ₹ 394.283 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख अठाईस हजार तीन सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-274/आधु0, दिनांक-04.03.2016 के संबंध में कहना है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कथैया थाना (ग्रेड-3) भवन एवं 4 यू0एस0, 6 एल0एस0 आवास के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्रकलित राशि ₹ 394.283 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख अठाईस हजार तीन सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं ₹ 394.283 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख अठाईस हजार तीन सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 394.283 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख अठाईस हजार तीन सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट शीर्ष-“4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण” विपत्र कोड-P4055000510101 एवं विषय शीर्ष-53 01 -मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड-HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-653/वि0, दिनांक-25.01.2016 द्वारा निर्धारित सेन्टेज का दर अनुमान्य होगा।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/योजना-01-23/2016गृ0आ0 के टि0 पृ0-6/टि0 पर दिनांक-30.05.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/योजना-01-23/2016गृ0आ0...../ पटना, दिनांक मई, 2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7-6-16

सरकार के प्रधान सचिव